

114

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 6317/2018/ग्वालियर/आ.अ. विरुद्ध आदेश दिनांक 8-10-2018 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर अपील प्रकरण क्रमांक आर.ई.सी./190/2017-18.

M/S Pernod Ricard India (P) Ltd
A.B. Road Rairu Farm, Gwalior
through its Authorized Representative
Trun Goel S/o Varun Kumar Goel
R/o A.B. Road
Rairu Farm, Gwalior

.....Appellant

विरुद्ध

1. Deputy Excise Commissioner (Flying Squad) Gwalior
2. Excise Commissioner Motimahal

.....Respondent

श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/6/19 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-10-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी इकाई द्वारा परमिट क्रमांक 40784 दिनांक 29-12-2016 से ए.पी.बीडल्यूएच शिलांग मेघालय को प्रेषित विदेशी मदिरा परेषण में 4015.5 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा परेषण की अनुमत्य सीमा से अधिक मार्ग हानि होने पर उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर द्वारा दिनांक 24-10-2017 को





आदेश पारित कर म.प्र. विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 19(2) के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी इकाई पर रुपये 10,53,805/- की शास्ति अधिरोपित की गई। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी इकाई द्वारा आबकारी आयुक्त, म.प्र. मोतीमहल, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आबकारी आयुक्त द्वारा अपील पक्ररण क्रमांक आर.ई.सी. 190/2017-18 में दिनांक 8-10-2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायलाय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 14-6-2019 को अपीलार्थी इकाई की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रत्यर्थी शासन द्वारा लिखित तर्क पूर्व से प्रस्तुत। अतः प्रकरण का निराकरण प्रत्यर्थी शासन द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। अतः प्रकरण का निराकरण अपील में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। अपील में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

- (1) It is submitted before this Hon'ble Court that, the appellant challenges the validity of each and every loss calculated by the respondent on the permits issued to the appellant company.
- (2) It is submitted that the appellant is not liable to pay any penalty on transit because the loss which has occurred was due to unavoidable circumstances and the appellant can not be made liable for the same.
- (3) It is submitted that, the penalty/excise duty, which is levied by the Excise Department. The Government in the name of transit loss is an illegal mode of recovering money because if any liquor has been destroyed, the same has not caused any damage or loss to the state exchequer, therefore, it is not justified to recover any money from the appellant in the name of transit loss in transportation.
- (4) It is submitted that, the loss which is alleged to have taken place was beyond the control of the appellant and therefore any alleged loss arising out of the same cannot be recovered from the appellant. In view of this, charging any fee or penalty in the name of transit loss is wholly unjustified.




- (5) It is submitted that, the concept behind levying a penalty is that if any loss has occurred to the state on account of the fault of any person then in order to compensate the same, penalty is imposed. In this present case, there is no actual/real loss has been suffered by the state which justifies the imposition of penalty in the name of transit loss. Therefore, the impugned order is bad in law and deserves to be set aside.
- (6) It is submitted that, while granting license to the appellant no such condition has been put in the license which empowers the state/Excise Department to recover any penalty or fee in the name of transit loss. Therefore, if no such condition has been put by the state in the license then the state is stopped from levying the same.
- (7) It is submitted that, the appellant has already paid the duty on the liquor transported/exported by them as per applicable provision and rates. Therefore, there is no question of any actual loss being caused to the state for which the penalty has been imposed upon the appellant. In view of this no penalty in the name of transit loss should be recovered from the appellant.
- (8) It is submitted that, there is no provision in the M.P. Excise Act, 1915, which empowers the State Govt. to charge any fee/penalty in the name of transit loss. It is pertinent to note that when the M.P. Excise Act does not contain any provision of charging of any fee/penalty towards transit loss then the rules made under the Act can not have any charging provision towards transit loss. Therefore, in view of this also the demand raised by excise department is wholly unsustainable and is liable to be set aside.
- (9) It is submitted that, before this Hon'ble Court that, the provision under which the penalty has been levied on the appellant is sub-judice before Hon'ble High Court of M.P., Principal seat at Jabalpur which is registered as W.P. No. 11409/2010 wherein notices have already been issued. When the charging provision is itself disputed and is challenged before the Hon'ble High



Court then it is not justified on the part of the Respondent to levy the penalty under the same provision.

- (10) It is submitted that, it has been mentioned in the show cause notice that at the time of verification at the destination point, certain number of glass bottles of liquor were found to be broken. It is submitted that, said measurement is arbitrary and is based on whims and fancies of the excise department, no representative of appellant was present. It is the principle of natural justice that once the penalty is being imposed then the aggrieved party should be informed regarding the reason and necessary detail for imposing penalty. It is submitted that, the measurement is totally arbitrary and same has not been measured in the presence of any of the representatives of the appellant. Therefore, the demand raised by excise department is totally arbitrary.
- (11) It is submitted before this Hon'ble Court that, the respondent have not even considered the grounds raised in the reply to the show cause notice and hence has not at all applied its mind while passing the order. Non consideration of reply to the show cause notice also amount to violation of principle of natural justice.
- (12) It is submitted before this Hon'ble Court that, since there is no adjudication of the loss if any has taken place done by the authorities therefore the penalty for causing loss to the state cannot be levied. Unless the authorities adjudicate the actual loss cause to the state Govt., no penalty can be levied on the appellant.
- (13) It is submitted before this Hon'ble Court that, the present appellant by way of their reply specifically submitted that the truck by which the consignment was being transport, met with an accident, report of which was immediately made of station House Officer, Police Station Dehat Bhind and thereafter the consignment was again loaded and It was sent to destination point. The report made to police station and to excise department were communicated along with the reply. The respondent in the impugned order has recorded a



finding that the copy submitted by the appellant were not readable and the respondents have sent the communication dated 10.07.2017 and 06.09.2017 whereby the readable copies were asked. The appellant never received such communication regarding submitting readable copy of the documents relied upon. Therefore, the finding recorded in the impugned order is bad in law and accordingly the impugned order deserves to be set aside.

(14) It is submitted before this Hon'ble Court that, the document which the present appellant had annexed with his reply are also been filed along with this appeal which includes a certificate issued by District Excise Officer Bind by which it is certified that the vehicle by which the liquor was being transported met with an accident due to which the loss has taken place and the remaining liquor was sent to the destination. Copy of the certificate, Panchnama and complaint are annexed herewith and marked as Annexure-A-6.

(15) It is submitted before this Hon'ble court that, the penal provision are not always mandatory, it is not always lawful to levy the penalty if it is prescribed by the statute unless the state may show that any loss has taken place on account of violation of the Rule. Since the case at hand no loss has been caused due to violation of Rule therefore the penalty cannot be levied.

अतः उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थागण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

(1) अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में गणना कर जो कुल हानि दर्शाई गई है, वह विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जबकि वास्तविकता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में

तत्समय तय अधिकतम ड्यूटी की दर से 10,53,805/- राशि की शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित एवं सही है।

(2)अपीलार्थी द्वारा यह भी बचावल लिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई मार्गहानि कारित नहीं की गई है, उक्त मार्गहानि प्राकृतिक आधार पर आधारित है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, परंतु अपीलार्थी द्वारा यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि अपरिहार्य कारणों से या अग्निकांड या दुर्घटना से कोई मार्गहानि हुई हो, इसलिए उक्त बचाव को अपीलार्थी सिद्ध नहीं कर सका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 एवं 08.10.2018 विधिवत होकर न्यायसंगत है, जो कि अकाट्य एवं विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होकर उचित व सही है।

(3)अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में यह आधार भी लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पर रिट याचिका क्रमांक 11409/2010 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त किया जाये, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है तथा न ही कोई दिशा निर्देश पारित किये गये हैं, परंतु अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रकरण के आदेश का हवाला देकर इस न्यायालय को गुमराह किये जाने की कोशिश की गई है, इसलिए अपीलार्थी की अपील अप्रचलनशील होकर निरस्ती योग्य है।

(4)उपरोक्त इकाई के म.प्र. विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम (2) अनुसार यह दण्डनीय होने से उपरोक्त आधार पर अनियमितता एवं विहित प्रावधानों के उल्लंघन होने पर इकाई पर 10,53,805/- रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील में उठाये गये आधारों एवं प्रत्यर्थागण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16 में परेषण के दौरान छीजन की अनुमत्य सीमा निर्धारित की गई है एवं नियम 19(2) के अन्तर्गत अधिक मार्ग हानि पर शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है । अधिक मार्ग हानि पर शास्ति अधिरोपित करना आज्ञापक प्रावधान है, जब तक कि अधिक मार्ग हानि होने के संबंध में समाधानप्रद रूप से यह सिद्ध न कर दिया जाये कि ऐसी हानि कतिपय अपरिहार्य कारणों से




हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किये गये विदेशी मदिरा के परिवहन में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होने के सम्बन्ध में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र जारी उत्तर प्राप्त किया गया है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उपायुक्त आबकारी द्वारा दिनांक 24-10-2017 को आदेश पारित कर म.प्र. विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16 के अनुसार अनुज्ञेय मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि पर नियम 19(2) के प्रावधानों के अनुरूप कुल मार्ग हानि 4015.5 प्रूफ लीटर पर तत्समय देय अधिकतम ड्यूटी के तीन गुना की दर से रुपये 10,53,805/- की शास्ति अधिरोपित की गई है। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता के उक्त आदेश को विधिसंगत पाते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी इकाई द्वारा अपील में उठाए गए आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-10-2018 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।




(मनोज गौयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर